

सातवीं अनुसूची

(धारा 129 देखिए)

टिप्पणः

- 5 1. इस अनुसूची में, "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" से, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है ।
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, पहली अनुसूची का अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण इस अनुसूची के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे ।

	शीर्ष सं०	उपशीर्ष सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर
	(1)	(2)	(3)	(4)
10	21.06	2106.00	पान मसाला	23%
	24.03	2403.11	— फिल्टर सिगरेट से भिन्न, जिसकी लंबाई 60 मिलीमीटर से अधिक न हो	20 रु. प्रति हजार
		2403.12	— फिल्टर सिगरेट से भिन्न, जिसकी लंबाई 60 मिलीमीटर से अधिक हो किंतु 70 मिलीमीटर से अधिक न हो	60 रु. प्रति हजार
15		2403.13	— फिल्टर सिगरेट जिसकी लंबाई (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी) 70 मिलीमीटर से अधिक न हो	90 रु. प्रति हजार
		2403.14	— फिल्टर सिगरेट जिसकी लंबाई (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी) 70 मिलीमीटर से अधिक हो किंतु 75 मिलीमीटर से अधिक न हो	145 रु. प्रति हजार
20		2403.15	— फिल्टर सिगरेट जिसकी लंबाई (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई, उनमें से जो भी अधिक हो, होगी) 75 मिलीमीटर से अधिक हो किंतु 85 मिलीमीटर से अधिक न हो	190 रु. प्रति हजार
		2403.19	— अन्य	235 रु. प्रति हजार
		2403.20	— तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट	150 रु. प्रति हजार
25	24.04	2404.10	- पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण	45%
		2404.31	— बेलित कागज से भिन्न बीड़ी जो किसी मशीन की सहायता से विनिर्मित नहीं है	1 रु. प्रति हजार
		2404.39	— अन्य	2 रु. प्रति हजार
		2404.41	— खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है	10%
		2404.49	— पान मसाला, जिनमें तंबाकू है	5%
30		2404.50	- तंबाकू की नसवार और निर्मितियां, जिनमें तंबाकू की नसवार किसी भी अनुपात में हो	10%
		2404.99	— अन्य	10% ^१ ।